154

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 13 अप्रैल, 1995 (चैत्र 23, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

सामान्य सूची देखें

1. निधन का उल्लेख

श्री लीलाधर खटीक, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा के निधन का उल्लेख.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 1994 को समाप्त वर्ष का क्रमांक-3 (सिविल) पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, राज्यमंत्री वाणिज्य एवं उद्योग, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 32 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री बी.आर. यादव, खनिज साधन मंत्री -

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का पच्चीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1987-88 ; तथा

(ख) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 (7) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री चरणदास महंत, राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर -

(क) मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) की धारा 8 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मनोरंजन कर तथा विज्ञापन कर नियम, 1942 में संशोधन संबंधी वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-5-19/92/वा.कर/5, दिनांक 4-1-95 तथा सम संख्यक शुद्धिपत्र दिनांक 10-4-95 ; तथा

(ख) मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-5-8-94-विक-पांच (14), दिनांक 16 मार्च, 1995 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री मुकेश नायक, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग अधिनियम, 1973 (क्रमांक 21 सन् 1973) की धारा 17 की अपेक्षानुसार तत्कालीन मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री विक्रम वर्मा, सदस्य, धार जिले की आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था सागौर के अधिकारियों द्वारा अनियमितताएं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (सहकारिता) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री चन्द्रप्रकाश बाजपेयी, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम नटेरन में अवैध उत्खननकर्ताओं की बारूदी सुरंग के विस्फोट से एक व्यक्ति की मौत होने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्रीमती करुणा शुक्ला तथा श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, रायपुर जिले के कुम्हारी स्थित केडिया डिस्टिलरीज के जलाशय के फूटने से प्रदूषण फैलने की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री गोविन्द मिश्रा, सदस्य, सीधी जिले के ग्राम मिश्रगवां में तोपाभ्यास के दौरान गोला गिरने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री पुष्पराज सिंह, सदस्य, रीवा नगर निगम के एक उपयंत्री के भ्रष्टाचार पर शासन द्वारा कार्यवाही न किये जाने की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री मुनीराम साहू, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, बिलासपुर जिले के अचानकमार क्षेत्र में लघु वनोपज पर प्रतिबंध लगाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) कुंवर विजय शाह, सदस्य, खंडवा जिले के ग्राम सुहागी में पुलिस द्वारा दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर दुर्व्यवहार किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम जेरठ में पुलिस कर्मियों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों की जबरिया नसबंदी कराये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री नेमीचन्द जैन, सदस्य, जिला चिकित्सालय शाजापुर में तोड़फोड़ एवं डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटित घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, भोपाल के ईदगाह क्षेत्र में विस्थापितों के नाम पर फर्जी लोगों को भूमि का आवंटन किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) डॉ. रामलखन सिंह (भिण्ड), सदस्य, शिवपुरी जिले के अनेक क्षेत्रों में दूषित जल से बीमारियां फैलने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री घनश्याम पाटीदार, सदस्य, नीमच में एक प्रतिष्ठित परिवार के लोगों के साथ मारपीट की घटित घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, रविशंकर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पाठ्यक्रम के बाहर के प्रश्न-पत्र दिये जाने की ओर राज्यमंत्री उच्च शिक्षा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्रीमती करुणा शुक्ला, सदस्य, रायपुर जिले के ग्राम बुडगहन में डकैती की घटित घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, जबलपुर के केंट थानान्तर्गत दहेज प्रताड़ना से एक महिला की मौत से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री गौरीशंकर बिसेन, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम पाथरी के लोगों के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट एवं अभद्र व्यवहार किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) डॉ गोविन्द सिंह, श्री बच्चन नायक, सदस्य, भिण्ड जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियुक्तियों में अनियमिततायें किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) सर्वश्री बनवारीलाल अग्रवाल, बाबूलाल गौर, रघुराज सिंह तोमर, सदस्य, बैतूल जिले के ग्राम टेमरासाल में एक आदिवासी दम्पति को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री देवलाल दुग्गा, सदस्य, बस्तर के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों से काम के अभाव में लोगों का पलायन होने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) सर्वश्री उदय मुदलियार, कुंवर विजय शाह, चन्द्र प्रकाश बाजपेयी, सदस्य, राजनांदगांव एवं बिलासपुर जिले के अनेक ग्रामों में तेंदुए का आतंक फैलने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्री जयंत मलैया, सदस्य, दमोह जिले की डायमंड सीमेंट फैक्ट्री द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण से रोग फैलने की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) सर्वश्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, गोपाल भार्गव, सदस्य, दुर्ग जिले के जामुल थानान्तर्गत दिन-दहाड़े एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) सर्वश्री प्रकाश सोनकर, कमलकिशोर पटेल, सदस्य, भोपाल के एक निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय द्वारा छात्रों के साथ धोखाधड़ी किये जाने की ओर जनशक्ति नियोजन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-3-

(24) डॉ. ढाल सिंह बिसेन, सदस्य, सिवनी जिले में शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति में अनियमिततायें होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) श्री रामेश्वर अखण्ड, सदस्य, उज्जैन स्थित इंदौर टेक्सटाइल मिल चालू न कर उसकी संपत्ति को बेचे जाने की ओर राज्यमंत्री वाणिज्य एवं उद्योग का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) श्री बृजेन्द्र पाठक, सदस्य, तवा जल विद्युत परियोजना को निजी फर्म को सौंपने से शासन को हो रही हानि की ओर राज्यमंत्री ऊर्जा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) सर्वश्री शिवप्रताप सिंह (सूरजपुर), मदनगोपाल सिंह, बाबूलाल जैन, सदस्य, सरगुजा जिले में औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों हेतु क्रय सामग्री में अनियमिततायें होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(28) श्री शिवप्रताप सिंह (सूरजपुर), सदस्य, सरगुजा उत्तर वन मंडल के बिहारपुर रेंज में वृक्षों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(29) श्री पुष्पराज सिंह, सदस्य, रीवा के ग्राम चोरहटा के पास ट्रक दुर्घटना में एक बालक की मौत से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(30) श्री ओमप्रकाश खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले की गधाई ग्राम पंचायत के सरपंच को अवैधानिक रूप से पद से हटाये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(31) श्री करणसिंह वर्मा, सदस्य, इछावर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जमोनिया में तहसीलदार द्वारा अवैध रूप से झोपड़ी तोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(32) श्री धरमूराय, सदस्य, सागर जिले के बंडा एवं शाहगढ़ वन रेंज में अवैध पत्थर खदानें चलाये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(33) श्री मनोहरलाल राठौर, सदस्य, अपेक्स बैंक द्वारा दैनिक डायरी के मुद्रण में अनियमिततायें होने की ओर उप मुख्यमंत्री (सहकारिता) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(34) सर्वश्री सुरेन्द्र वर्मा, युवराज तुकोजीराव पवार, सदस्य, देवास जिले के ग्राम भलाई में घटिया आहार सामग्री का वितरण किये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(35) श्रीमती करुणा शुक्ला, सदस्य, रायपुर जिले के शंकरनगर स्थित नारी निकेतन की एक युवती के गर्भवती होने के बाद उसका गर्भपात कराये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(36) श्री प्रभात कुमार पाण्डेय, सदस्य, जबलपुर में समाज कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित अनुरक्षण गृह में बालिकाओं के साथ व्यभिचार होने की ओर समाज कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(37) श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले के बिशनपुर ग्राम के पास लूट की घटना घटित होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(38) श्री सोनेराम कुशवाह, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री रामलखन सिंह (त्योंथर), सदस्य, रीवा जिले के मऊगंज थाना प्रभारी द्वारा एक महिला के साथ बलात्कार किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(39) श्री थावरचंद गेहलोत, सदस्य, उज्जैन स्थित सेठ गोविंद राम शुगर मिल के प्रबंधकों द्वारा गन्ने की कीमत का भुगतान न किये जाने की ओर राज्यमंत्री वाणिज्य एवं उद्योग का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(40) सर्वश्री शैलेन्द्र प्रधान, निर्भय सिंह पटेल, मुनीराम साहू, सदस्य, भोपाल में प्रश्न पत्रों के गुमने के कारण प्राथमिक शालाओं की परीक्षाएं स्थगित किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(41) श्री कमल किशोर पटेल, सदस्य, होशंगाबाद जिले के हरदा नगर में गौवध के अपराधी गिरफ्तार न हो पाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(42) श्री बच्चन नायक, सदस्य, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा उरी बांध नदी पर पुल निर्माण में विलम्ब होने की ओर उप मुख्यमंत्री (नर्मदा घाटी विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(43) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, छतरपुर में जिला पंचायत की स्थाई समितियों का निर्वाचन पक्षपात पूर्ण ढंग से किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(44) श्री थावरचंद गेहलोत, सदस्य, भोपाल स्थित पंजाबी बाग में मध्यप्रदेश विद्युत मंडल की भूमि पर पंजाबी गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा अवैध कब्जा किये जाने की ओर राज्यमंत्री ऊर्जा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री बालेन्दु शुक्ल, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री रामकिशोर शुक्ल, सभापति, विशेषाधिकार समिति का चतुर्थ, पंचम्, षष्टम् एवं सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री धनेश पटिला, सभापति, याचिका समिति का षष्टम् एवं सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

(1) श्री रामकिशोर शुक्ल, सभापति, विशेषाधिकार समिति ,निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" विशेषाधिकार समिति के समक्ष विचाराधीन विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जाए."

(2) श्री जालम सिंह पटेल, सभापति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" बीज निगम द्वारा घटिया बीज एवं कीटनाशक का प्रदाय करने के संबंध में गठित समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जाए."

(3) श्री धनेश पटिला, सभापति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सागर के पुलिस कर्मियों के आचरण की जांच हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जाए."

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री जुगुल किशोर बागरी, सदस्य, सतना जिले के -

(क) ग्राम रैगांव में विद्युत उपकेन्द्र खोले जाने ;
(ख) ग्राम मसनहा में सिंचाई हेतु उच्च शक्ति का ट्रांसफार्मर लगाये जाने ;

(2) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य, शाजापुर जिले के -
(क) ग्राम पंचायत पोलायकला के मुगलीखेड़ा मुहल्ले में पेयजल की व्यवस्था कराये जाने ;
(ख) ग्राम मकोड़ी में अस्पताल भवन का निर्माण कराये जाने ;

(3) डॉ. सियाराम साहू, सदस्य, राजनांदगाव जिले के ग्राम महाराजपुर में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने ;

(4) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य, राजनांदगाव जिले में शिवनाथ नदी पर पुल बनाये जाने ;

(5) श्री ज्ञान सिंह, सदस्य, सतना जिले के ग्राम कुम्हारी में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने ; तथा

(6) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले के इटारसी नगर में वैध आवंटितों को दुकानों का कब्जा दिलाये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

7. संकल्प

निर्धारित समय

श्री कांतिलाल भूरिया, आदिम जाति कल्याण मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

1 घन्टा

" यह सदन संकल्प करता है कि संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान इस प्रदेश के जन-जाति क्षेत्रों में लागू किये जाने हेतु अनुशंसा भारत सरकार को की जाये. "

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. विजय लक्ष्मी साधो, संस्कृति मंत्री, भारत भवन न्यास (निरसन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 15 सन् 1995) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगी तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगी.

(2) श्री तनवंत सिंह कीर, स्थानीय शासन मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री (सहकारिता), मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 17 सन् 1995) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) श्री चरणदास महंत, राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश वृत्ति कर विधेयक, 1995 (क्रमांक 18 सन् 1995) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(5) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, राज्यमंत्री परिवहन, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

9. विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों पर विचार

श्री रामकिशोर शुक्ल, सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" यह सदन आज दिनांक 13 अप्रैल, 1995 को प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ, पंचम्, षष्टम् एवं सप्तम् प्रतिवेदनों पर विचार करे तथा इन्हें स्वीकार करे."

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय 1 घन्टा — (1) श्री शिव नेताम, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 1995 (क्रमांक 12 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा — (2) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, राज्यमंत्री ऊर्जा, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 13 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

2 घन्टे — (3) श्री शिव नेताम, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश जिला योजना समिति विधेयक, 1995 (क्रमांक 14 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा — (4) डॉ. विजय लक्ष्मी साधो, संस्कृति मंत्री, प्रस्ताव करेंगी कि भारत भवन न्यास (निरसन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 15 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाय.

2 घन्टे — (5) श्री तनवंत सिंह कीर, स्थानीय शासन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. — (6) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री (सहकारिता), प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 17 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा 30 मि. — (7) श्री चरणदास महंत, राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वृत्ति कर विधेयक, 1995 (क्रमांक 18 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. — (8) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, राज्यमंत्री परिवहन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

भोपाल :
दिनांक : 12 अप्रैल, 1995

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा